

राजस्थानसरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प026/2025/20

दिनांक : 02/04/2025

—: आदेश :—

निर्देशानुसार दिनांक 02.04.2025 को माननीय मंत्री महोदय द्वारा विडियों कान्फ्रेन्स में दिये गये आदेश के अनुसार जिन जिलों का विलोपन/प्रत्याहरित किया गया है, उन जिलों में आदेश क्रमांक F.22[01]MH/2/2023 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा जिला स्तरीय प्रशासनिक पद स्वीकृत किये गये थे पर पदस्थापित/कार्यरत जिला स्तरीय चिकित्सक समायोजित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति अग्रिम आदेशों तक प्रस्तुत करेंगे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प026/2025/20

दिनांक : 02/04/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1 माननीय विशिष्ट सहायक, चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
 - 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
 - 3 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आदेश का अनुमोदन करने का श्रम करें।
 - 4 संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-संबंधित।
 - 5 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनूपगढ़/दूदू/गंगापुरसिटी/जोधपुर-ग्रामीण/केकडी/नीमकाथाना/सांचोर/शाहपुरा।
 - 6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर/जयपुर-II/सवाईमाधोपुर/जोधपुर/अजमेर/सीकर/जालौर/भीलवाडा को लेख है कि संबंधित चिकित्सकों को कार्यग्रहण करवाते हुए कार्यग्रहण की सूचना से अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
 - 7 संबंधित चिकित्सक को विभागीय वैबसाइट के माध्यम से सूचनार्थ।
 - 8 कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
 - 9 प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
- रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।